निरीक्षण – प्रतिवेदन

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैच प्रचलित प्रकरण क्रमांक 61/2021 (डॉ श्रवण रितम खरे विरूद्ध म.प्र शासन व अन्य) में दिनांक 10.08.2021 के पालनार्थ जानकारी का विवरण।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण में जॉच हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया।

1.श्रेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर ।
2.मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पन्ना

उपरोक्त संयुक्त जॉच दल द्वारा दिनांक 28.09.2021 को नगर पालिका परिषद पन्ना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर के रसायनज्ञ श्री आर.बी.यादव द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पन्ना शहर के लगभग 10 वार्डो के दूषित जल/मल जो विभिन्न नालो एवं नालियों के माध्यम से किल–किला नदी में मिलते पाया गया। वर्तमान में पाया गया निकाय द्वारा सॉलिड वेस्ट को नदी में मिलने से रौकने के लिये जालियो का उपयोग किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान लिये गये नालों/नदी के छाया चित्र संलग्न हैं।

जिला प्रशासन/जिला शहरी विकास अभिकरण जिला पन्ना के पत्र क्रमांक. 753 दिनांक 29.09.2018 द्वारा मिनी स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत नाला निर्माण एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की विस्तृत योजना तैयार कराने हेतु प्रमुख अभियंता मध्य प्रदेश अर्बन डेबलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड को लेख किया गया जिसमें विभाग द्वारा दूषित जल/मल को किलकिला नदी में मिलने से पूर्व नाला निर्माण एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की निम्नानुसार विस्तृत योजना तैयार की गई :–

संलग्नक एक अनुसार

क्र.	कार्य का नाम	लागत (राशि लाख में)
01	RCC नाला निर्माण (रानीगंज से आगरा मोहल्ला, पहाड कोठी से आगरा मोहल्ला एवं बडा बाजार से आगरा मोहल्ला तक)	215.48
02	नाला से STP चेम्बर तक पाईप लाईन का कार्य	2.13
03	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (STP) 3.5 MLD का निर्माण कार्य	350.00
04	उपचारित सीवेज के पुर्नउपयोग का कार्य	4.09
	कुल निर्माण लागत	**576.56**

उपरोक्त विस्तृत योजना के संबंध में म0प्र0 अर्वन डेवलपमेन्ट कम्पनी द्वारा कार्यवाही नही किये जाने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं नाला निर्माण का कार्य नही हो पाया है।

वर्तमान में जल जीवन मिशन अंतर्गत निकायों में Sewage Network, Sewage Treatment Plant (STP) Including Tertiary Treatment की विस्तृत योजना तैयार कराने हेतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 2021/11/7831 दिनांक 06.07.2021 द्वारा शासन स्तर से डी.पी.आर तैयार किये जाने हेतु, कन्सलटेन्ट निकाय में नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

रसायनज्ञ म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर (म0प्र0)	उपयंत्री नगर पालिका परिषद पन्ना (म0प्र0)	सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद पन्ना (म0प्र0)	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पन्ना (म0प्र0)